

न्यायालय अपर सिविल जज जू०डि० प्रथम/जे०एम० फै०

अभियुक्त धारा—MVACT के अन्तर्गत मु०—40 अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त 3 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतान होगा।

न्यायालय अपर सिविल जज जू०डि० प्रथम/
जे०एम० फै०